न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प ढोला, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 629/2016
दायर तिथि– 29.06.2016
तारीख फैसला– 23.05.2018

वादीः–
1–मांगीलाल पुत्र भीखाराम जी जाति कुम्हार निवासी ढोला शासन तहसील सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।

ब ना म

प्रतिवादीः–
1–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा ढोला शासन पटवार क्षेत्र ढोला सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 535 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल जो भूमि सवत 2030 से 2033 में गैर मुमकिन आबादी के रूप में नियमित की गई जो भूमि आबादी में दर्ज होने से तथा वादी का पूराना कब्जा होने व पुराना रहवासीय मकान बनने के कारण ग्राम पंचायत ढोला ने अपने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 8.9.2003 को पट्टा संख्या 5344 बुक संख्या 107 मिसल संख्या 26/2000–2001 के जरिये तारीख 07.12.2004 को रहवासिय मकान को नियमित किया इस तरह वादी इस भूमि का एक मात्र पट्टाधारी एवं कानूनी रूप से स्वामित्वसुदा मालिक है।

(2) ढोला शासन के गत खसरा नं. 535 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नं. 982 रकबा 0.64 बना है। गत खसरा नं. 535 सिवायचक पुरानी पडत भूमि थी जिसे आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर ग्राम पंचायत ढोला के नाम आवंटन की गई थी। लेकिन सेटलमेंट के दौरान गत खसरा. न. 535 के हाल खसरा नं. 971 रकबा 0.03 खसरा नं. 972 रकबा 0.05 हैक्टर 973 रकबा 0.05 हैक्टर 974 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नं. 982 रकबा 0.64 हैक्टर कुल रकबा 0.91 हैक्टर दर्ज किया गया जो गत क्षैत्रफल 3 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर 5 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किया गया है। जिसमें ख.न 482 रकबा 0.64 को पुनः गै.मु. खड्डा दर्ज कर दिया गया। उक्त खसरे में प्रार्थना द्वारा कब्जा मकान बना रखा है। जिसे अतिक्रमण मान कर धारा 91 के तहत कार्यवाही होने से प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत कर शुद्धि का निवेदन किया

(3) पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमं खसरा नं 482 कि किस्म गै.मु. खडडा दर्ज है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। तथा उक्त भूमि कभी भी वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **23.05.2018** को राजस्व लोक अदालत ढोला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner